47

छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विभाग
मंत्रालय
डी.के.एस. भवन– रायपुर

क्रमांक/ 4591(A) /डी–17/7/1/2005/14–3 रायपुर दिनांक 4/11/06

प्रति,

1. संचालक कृषि विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

2. संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छत्तीसगढ़

3. प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्यं बीज एवं
कृषि विकास निगम
छत्तीसगढ़

4. कलेक्टर,
जिला ................................... (सर्व)

विषय :– माइकोईरीगेशन योजना (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

---

सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा अन्य नकदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से संचालित यह एक केन्द्र पोषित योजना है।

योजना के घटक :–

1. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला/प्रदर्शनी आयोजन।
2. प्रक्षेत्रों में प्रदर्शन।
3. अनुदान पर स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिस्टम का वितरण।

**1. i प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

माइक्रो–इरीगेशन सिस्टम की विस्तृत तकनीकी जानकारी देने, उनके बेहतर उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में कृषकों, विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं इस कार्य से जुड़े अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के लिये योजना आधारित प्रशिक्षण आयोजन NCPAH की कार्यकारी समिति के अनुमोदन अनुसार किया जावेगा। इसके लिये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र (PFDC) को नामांकित किया गया है। इसके लिये प्रति प्रशिक्षण अधिकतम रू. 25000/– का प्रावधान रखा गया है। प्रशिक्षण व्यय केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

**1. ii कार्यशाला/प्रदर्शनी :**

योजना के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्षेत्रीय/ जिला स्तर पर कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जावेगा। इसके लिये क्षेत्रीय स्तर पर प्रति आयोजन रू. 1.00 लाख की वित्तीय सहायता केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी।

48

2. सूक्ष्म सिंचाई का प्रदर्शन :

राज्य शासन/कृषि विश्वविद्यालय/बीज निगम अथवा उन्नतशील कृषको के प्रक्षेत्र में स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप सिस्टम के 0.5 हे. क्षेत्र में प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की जावेगी।

यूनिट लागत की 75 प्रतिशत राशि अनुदान केन्द्र शासन द्वारा देय होगा। तथा शेष 25 प्रतिशत राशि हितग्राही कृषक द्वारा, तथा शासकीय/ विश्वविद्यालय/निगम प्रक्षेत्रों हेतु राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3. ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम वितरण :

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम क्रय करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान निर्धारित इकाई लागत पर देय होगा। प्रति लाभार्थी परिवार को अधिकतम 5 हे. के लिये अनुदान की पात्रता होगी।

**योजना का कार्य क्षेत्र :**

इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी जिलों में किया जावेगा।

**हितग्राहियों का चयन :**

इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे कृषकों का चयन किया जावेगा। जिनके प्रक्षेत्र में सिस्टम की स्थापना हेतु उपयुक्त सिंचाई स्त्रोत एवं पर्याप्त जल उपलब्धता तथा सिंचाई पंप हो। सभी वर्ग एवं श्रेणी के कृषकों/कृषक समूह को पात्रता अनुसार अनुदान देय होगा। किन्तु 2 हेक्टेयर से अधिक जोत सीमा वाले कृषकों के लिये न्यूनतम 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत होने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

**ड्रिप हेतु चयनित फसलें :-**

| उद्यानिकी | गैर उद्यानिकी |
|---|---|
| आम, पपीता, केला, लीची, नींबू, आलू, टमाटर, पुष्प, नारियल, साग-सब्जी, मसाले, सुगंधित एवं औषधी फसलें एवं अन्य | गन्ना, मक्का, सूरजमुखी, कपास, मूँगफली एवं अन्य |

**स्प्रिंकलर हेतु चयनित फसलें :-**

| उद्यानिकी | गैर उद्यानिकी |
|---|---|
| मिर्च, लहसून, पचौली, एवं अन्य | चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूँ एवं अन्य |

**योजना प्रशासन :-**

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान है।

**राष्ट्रीय स्तर**

(क) बागवानी में प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में बागवानी में प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति एक उत्कृष्ट निकाय है जो सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा और देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र को शामिल करने पर प्रगति की समीक्षा करेगा।

(ख) सूक्ष्म सिंचाई पर कार्यकारी समिति

सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित एन.सी.पी.ए.एव. की कार्यकारी समिति सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्यकलापों को देखेगी तथा कार्यवाही योजना को स्वीकृत करने के साथ पी.एफ.डी.सी. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर परियोजना तथा प्रायोजक परियोजना की योजनाओं को स्वीकृत करेगी।

विभिन्न राज्यों/घटकों का आबंटन कार्यकारी समिति के विवेकाधिकार में आता है। यह विभिन्न एजेंसियों के बीच सुचारू प्रयोगिक सम्पर्क को सुनिश्चित करेगी। यथा आवश्यक कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जावेगी किन्तु प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होना जरूरी है।

**राज्य स्तर**

**राज्य सूक्ष्म सिंचाई समिति (S.M.I.C.)**

राज्य शासन द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में स्टेट माईक्रोईरीगेशन कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों की जानकारी परिशिष्ट कमांक– 1 पर है।

इस समिति के द्वारा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति बनायी जावेगी ।

**S.M.I.C. के कार्य**

1. विभिन्न फसलों तथा प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेस लाइन सर्वेक्षण तथा व्यवाहिरक अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
2. राज्य के विभिन्न जिलों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सुझाव एवं मार्गदर्शन ।
3. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राज्यांश की कार्यान्वयन एजेंसी को यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना ।
4. जिलों के समेकित कार्यवाही योजना को अंतिम रूप देते हुए कृषि एवं सहकारिता विभाग को अग्रेषित करना ।
5. पंजीकृत सिस्टम निर्माताओं की सूची के साथ मूल्य सूची का अनुमोदन तथा तद्नुसार जिला सूक्ष्म सिंचाई समिति (डी.एम.आई.सी.) तथा कार्यान्वयन एजेंसी को अवगत कराना। इसमें यह भी दर्शाया जाएगा कि सिस्टम लगाने से पहले लाभार्थी/बैंक द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा।
6. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों की ऋण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना ।
7. किसानों, पदाधिकारियों, एन.जी.ओ. उद्यमियों आदि के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों तथा विस्तार कार्यकमों को एफ.डी.सी. के माध्यम से आयोजित कराने हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन ।

50

**जिला स्तर**

1. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट माइकोइरीगेशन कमेटी का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों की जानकारी परिशिष्ट–दो में संलग्न है।
2. जिले की वार्षिक कार्य योजना तैयार कराकर अनुमोदन उपरांत राज्य स्तरीय माईको सिंचाई समिति (एस.एम.आई.सी.) को प्रस्तुत करना।
3. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए कृषकों की ऋण की आवश्यकता का आंकलन कर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना।
4. जिले में योजनाओं के कियान्वयन की प्रगति की निगरानी, समीक्षा एवं सुझाव हेतु कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा।
5. राज्य स्तरीय समिति को फीडबैक प्रदान करना।

**क्रियान्वयन एजेंसी**

प्रदेश में इस योजना के कियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को कियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है । स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार जिलेवार आवश्यक केन्द्रांश राशि केन्द्र शासन द्वारा सीधे कियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराया जावेगा तथा राज्यांश की राशि राज्य शासन द्वारा संचालक कृषि/उद्यानिकी के माध्यम से प्रदाय की जावेगी । कियान्वयन एजेंसी भारत शासन द्वारा जारी किए गये सूक्ष्म सिंचाई मार्गदर्शीका तथा राज्य स्तरीय माईको इरीगेशन कमेटी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

**इकाई लागत का निर्धारण –**

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भारत शासन द्वारा योजना के मार्गदर्शीका में उल्लेखित तकनीकी मापदण्डों एवं क्षेत्र के आकार के आधार पर इकाई लागत का निर्धारण योजना कियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

**गुणवत्ता नियंत्रण –**

इस योजना की सफलता के लिए कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदाय किया जाना अति आवश्यक है । इसके लिए राज्य स्तीय माईको इरीगेशन समिति की अनुसंशा एवं भारत शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी ।

**माइक्रो इरीगेशन योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रकिया**

- कृषि/उद्यानिकी विभाग के जिला अधिकारी जिले की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय माइक्रो सिंचाई समिति (DMIC) से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य स्तरीय माइक्रो सिंचाई समिति (SMIC) को प्रस्तुत करेंगे।
- कृषि/उद्यानिकी विभाग के जिला अधिकारी जिला स्तरीय माइक्रो सिंचाई समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का विकास खण्डवार विभाजन कर जिला पंचायत कृषि समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं विकासखंडों को अवगत करायेगें।
- विकासखंड को प्राप्त लक्ष्यों का ग्रामीण कृषि/उद्यानिकी विस्तार अधिकारी वार जल उपलब्धता (नलकूप/कूप/बारहमासी नदी नाले) के आधार पर वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी विभाजन करेंगे।

51

ग्रामीण कृषि/उद्यान विस्तार अधिकारी योजनान्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना हेतु कृषकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 3 प्रतियों में प्राप्त कर ग्राम पंचायत से अनुमोदन उपरांत संबंधित विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में त्वरित कार्यवाही के लिये सर्व संबंधितों की उपस्थिति में उपयुक्त स्थल पर शिविर आयोजित किया जाना उचित होगा ।

(कार्यवाही– ग्रामीण कृषि/उद्यानिकी विस्तार अधिकारी समयसीमा आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर)

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जल उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु स्थल का निरीक्षण किया जावेगा। स्थल निरीक्षण के उपरान्त वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ पात्र कृषकों का आवेदन विभाग के जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे तथा कृषक सूची संबंधित जनपद पंचायत को सूचनार्थ भेजेंगे।

(कार्यवाही– वरिष्ठ कृषि/उद्यानिकी विकास अधिकारी समय सीमा अधिकतम 10 कार्य दिवस)

- विभाग के जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा तथा इसकी एक प्रति आवेदन के साथ जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक/प्रभारी शाखा प्रबंधक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को भेजेंगे।

  (कार्यवाही उप संचालक कृषि, समय सीमा अधिकतम 3 कार्य दिवस)

- जिले के कृषि/उद्यानिकी अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर कृषक द्वारा चयनित किये गये विनिर्माता कंपनी को जल एवं विद्युत उपलब्धता के संबंध में हितग्राही का स्थल निरीक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु आदेश जारी किया जावेगा।

  (कार्यवाही– उप संचालक कृषि, उप/सहायक संचालक, उद्यान समय सीमा– 2 कार्य दिवस)

- विनिर्माता कंपनी के प्रतिनिधि से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कृषक अंश की राशि की गणना जिला कृषि/उद्यानिकी अधिकारी द्वारा की जाकर इसकी सूचना जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक, वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी एवं संबंधित कृषक को दी जावेगी।

- कृषक द्वारा कृषक अंश राशि, गणना के अनुसार विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से बीज निगम के जिला कार्यालय में जमा की जावेगी। बैंक ऋण लेने के इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र विभाग के जिला कार्यालय द्वारा कृषक अंश राशि का उल्लेख करते हुए संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना एवं कृषक अंश राशि का ड्राफ्ट विभाग के जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

  (कार्यवाही– उप संचालक कृषि, उप/सहायक संचालक, उद्यान संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक)

- कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा **(DMIC)** से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर जिला प्रबंधक बीज निगम को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे। तद्अनुसार जिला/प्रभारी प्रबंधक बीज निगम संबंधित कृषक द्वारा चयनित विनिर्माता कंपनी को प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार सिस्टम स्थापना करने हेतु कार्य आदेश जारी करेंगे।

52

☐ माइक्रो-इरीगेशन सिस्टम की स्थापना में सिस्टम के अतिरिक्त अन्य लगने वाले व्यय जैसे सिविल कार्य, ट्रेंच, खुदाई, विद्युत कनेक्शन आदि की व्यवस्था कृषक को स्वयं करनी होगी तथा इसका व्यय कृषक को वहन करना होगा।

☐ जिलो में स्थापित किये गये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट की स्थापना के पश्चात रेन्डम विधि से न्यूनतम 10 प्रतिशत सिस्टम का भौतिक सत्यापन कृषि/उद्यानिकी विभाग के ज़िला स्तरीय प्रतिनिधि तथा जिला/शाखा प्रबंधक/प्रभारी शाखा प्रबंधक (बीज निगम) द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा एवं प्रतिवेदन संबंधित संचालक कृषि/उद्यानिकी, संबंधित कलेक्टर तथा बीज निगम को प्रेषित किया जावेगा।

☐ विनिर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यादेश के अनुसार ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना कर कृषक का पूर्णता एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र विभाग की भुगतान करने की अनुशंसा के साथ निगम के जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

☐ बीज निगम के मुख्यालय उपरोक्तानुसार प्राप्त दस्तोवजों का नियमानुसार परीक्षण कर देय भुगतान की कार्यवाहीं 10/15 दिनो के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

☐ यदि प्राक्लन के अनुरूप ड्रिप/स्प्रिकलर की स्थापना नही पाये जाने अथवा निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री न होने की स्थिति में संबंधित विनिर्माता कंपनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अधीन कार्यवाही की जावेगी। उनके द्वारा प्राक्कलन गलत बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विनिर्माता कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

बीज निगम द्वारा इस योजना के कियान्वयन हेतु सभी गतिविधियों (जिनके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है) के लिए उचित समय सीमा का निर्धारण किया जावेगा तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जावेगा।

(डॉ. एच. एल. प्रजापति)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ. कमांक/ 4591(B) /डी-17/7/1/2005/14-3 रायपुर दिनांक 4/11/2006

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग ।
3. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग